

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नंबर – 71/2020

हरिराम पुत्र श्री नोरंग राम जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तन् जसरापुर तहसील
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....वादी

ब-ना-म

1. मनीराम पुत्र नोरंगराम
2. रामसिंह पुत्र नोरंगराम
3. ओमप्रकाश पुत्र फूल सिंह
4. कविता पुत्री नागरमल
5. कोयली पत्नी रेखाराम
6. चिड़िया पुत्री महादेवा
7. छोटी पुत्री भगवाना
8. जयकोरी पुत्री भगवाना
9. जेलदार पुत्र भगवाना
10. फूला पुत्र भगवाना (फौत)
- 10/1 अणची पत्नी फूला जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर
- 10/2 शीशराम पुत्र फूला जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर
- 10/3 मंगेजा राम पुत्र फूला जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर
- 10/4 महेन्द्र सिंह पुत्र फूला जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर
- 10/5 मुन्नी पुत्री फूलाराम पत्नी रतिराम जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर हाल निवासी
लाखा का नांगल तहसील बानसुर जिला अलवर, राज0
- 10/6 सन्तोष पुत्री फूलाराम पत्नी श्री धनाराम जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर हाल
निवासी लाखा का नांगल तहसील बानसुर जिला अलवर, राज0
11. मनोरी पुत्री भगवाना
12. मीरा पुत्री नागर मल
13. रेशमी पुत्री महादेवा
14. राकेश कुमार पुत्र नागर मल
15. विधाधर पुत्र नागर मल
16. शरबती पुत्री भगवाना (फौत)
17. शरबती पुत्री महादेवा
18. शांति देवी पत्नी नागर मल
19. शांति पत्नी श्री फूल सिंह
20. सुनिता पुत्री नागर मल
21. रेखाराम दत्तक पुत्र श्रीराम

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी



22. पारा देवी पुत्री श्रीराम
23. शांति पुत्री श्रीराम
24. धन्नी पुत्री श्रीराम
25. लाली पुत्री श्रीराम
26. फूलाराम पुत्र श्योपाल
27. सन्तरा पत्नी लीलाराम
28. सन्तोष देवी पत्नी सुमेर सिंह
- जाति गुर्जर निवासीगण रोड़ासर तन् जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
29. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर जिला झुन्झुनूं राज0
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0


.....प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन

-: निर्णय :-

दिनांक 16-11-2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02-09-2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम रोड़ासर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 125 खसरा नंबर क्रमशः 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 200, 201, 233, 234, 235, 236, 238 कुल किता 18 कुल रकबा 8.53 है। में वादी का 19523/204720 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 1 का 19/240 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2 का 19/240 हिस्से का अलग-अलग तथा ग्राम तातीजा स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 331 खसरा नंबर 785, 786, 795, 796 कुल किता 4 कुल रकबा 2.78 है। में वादी का 1/15 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 का 1/15 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2 का 1/15 हिस्से का अलग-अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/4143 दिनांक 30.09.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-6” व “ब”) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-6” व “ब”) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-6” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-6” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-“ब” के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-11-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

गसीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

हरिराम

ब-ना-म

मनीराम आदि

शवा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :- 71/2020

निर्णय दिनांक :- 16-11-2022

वादी की ओर से श्री महीपाल दौराता एडवोकेट की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री सन्त कुमार एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-11-2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-6" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-6" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी